

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.म.अ.  
का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

पंजीयन क्रमांक : FP/CG/SCH/33063/2018

1.	परियोजना का नाम	दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय, स्याहीमुड़ी कोरबा
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.)
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय, स्याहीमुड़ी कोरबा
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	उत्तर - गोपालपुर से दर्री पहुंचमार्ग दक्षिण - पी 533 का शेष क्षेत्र पूर्व - पी 533 का शेष क्षेत्र पश्चिम - पी 533 की सीमा लाईन
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण	
	क. आरक्षित वन	-
	ख. संरक्षित वन	पी533 = 4.34 हे.
	ग. राजस्व वन	-
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	मिश्रित साईट क्वालिटी - Eco Class III (3B/C2 Southern moist Mixed deciduous forests घनत्व - 0.1
7.	आवेदित क्षेत्रों में वृक्षों की विवरण	प्रस्तावित क्षेत्र में 30 से.मी. से अधिक गोलाई वर्ग के एक भी वृक्ष उपलब्ध नहीं है एवं 30 से.मी. से नीचे गोलाई वर्ग के पौधों को इस गणना में शामिल नहीं किया गया है।
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	निरंक
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	निरंक
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग किमी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन करे।	नहीं है।

11.	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।)	खनन कार्य प्रस्तावित नहीं है अतः जानकारी निरंक है ।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।	उल्लंघन नहीं हुआ है ।

प्रमाण –पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई राजस्व वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल : पी533 (स्याहीमुड़ी)  
दिनांक : 18/04/2018

  
 वनमंडलाधिकारी  
 कटघोरा वनमंडल कटघोरा